यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/76

प्रकरण संख्या 43/22

अनवान

1. श्री हिम्मतलाल उर्फ हेमराज शर्मा पिता शंकरलाल जी शर्मा निवासी नया बाजार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. श्री श्री हिरालाल पिता शंकरलाल जी मेनारिया निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री धनराज पिता शंकरलाल जी मेनारिया निवासी निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. उदयलाल पिता रतन लाल जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी नयाबाजार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. देवी लाल पिता लच्छीराम जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. नारायण पिता लच्छीराम जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. भुरालाल पिता लच्छीराम जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
7. भगतीलाल उर्फ भवानीशंकर पिता रतनलाल जी मेंनारिया ब्राहम्ण निवासी चितोडगढ तहसील चितोडगढ जिला चितोडगढ राज0।
8. प्रकाश चंद्र पिता देवराम जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी नयाबाजार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
9. कमलाशंकर पिता देवराम जी मेनारिया ब्राहम्ण निवासी नयाबाजार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
10. श्री भुमिधारी जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puriadia
Date: 2022.10.17 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक :–22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सारंगपुरा (कानोड) पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की खाता संख्या नया 9 की आराजी नम्बर 764 कुंआ, 773, 971 कुआं किता 3 रकबा 0.770, खाता संख्या नया 7 की आराजी नम्बर 765, 766, 767, 771, 772, 776, 777, 778, 965 से 968 किता 12 रकबा 2.2600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदार की भूमि

है। यह की प्रार्थी को जन्म से हेमराज एवं हिम्मतलाल शर्मा दानो नामों से जाना जाता है तथा प्रार्थी के दोनो नाम होने से सरकारी रेकर्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में उसका नाम हिम्मत लाल शर्मा है जबकि जमाबंदी में हेमराज दर्ज हो गया है जिसे दुरस्त कर अपना मुल नाम हिम्मतलाल पिता शंकरलाल शर्मा दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 9 अनुपस्थित होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिसमें प्रार्थी हिम्मतलाल शर्मा का नाम मोतबिरान एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मौजा सारंगपुरा (कानोड) पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) खाता संख्या 7 व 9 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल शर्मा के बजाय हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल शर्मा किये जाने की अनुशंषा की।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जताई। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी के कथनानुसार सारंगपुरा (कानोड) का साथ पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की खाता संख्या 7 व 9 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से यह पाया की प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व मोतबिरान के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल है व नाम संशोधन की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नगरपालिका कानोड का प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुर (कानोड) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रमाणित किया गया की हिम्मतलाल उर्फ हेमराज शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है व व्यक्तिगत रूप से जानना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अन्य दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति[illegible] का नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल शर्मा अंकित है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि हेमराज पुत्र शंकरलाल व हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल अंकित है जबकि जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल अंकित है जिससे प्रार्थी को कठिनाई हो रही है जिससे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

GCMSसंख्या 2022/76
प्रकरण संख्या 43/22
हिम्मतलाल बनाम हीरालाल

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सारंगपुरा (कानोड) पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की खाता संख्या 7 व 9 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल के बजाय हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.09.2022 को सुनाया गया।